न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:-डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:- 464/2025

श्री ऋषि सुलतानिया, फ्लेट 002, ए विंग, बिल्डिंग 55, राधिका सी0एच0एस0 लिमिटेड, गोकुलधाम, गोरेगांव वेस्ट, पिन कोड 400063, मो0न0 7023951335

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 17.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 464/2025 पर दिनांक 04.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4841-842 दिनांक 04.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0/2025/65 दिनांक 17.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय चिडावा से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2025/56 दिनांक 15.10.2025 के द्वारा तहसीलदार, चिडावा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार, चिडावा के पत्रांक आर0टी0आई/2025/43 दिनांक 12.1.2025 से प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है- यह कि प्रार्थी श्री ऋषि सुलतानिया, फ्लेट 002, ए विंग, बिल्डिंग 55, राधिका सी0एच0एस0 लिमिटेड, गोकुलधाम, गोरेगांव वेस्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 1 अप्रैल 2001 की डी0एल0सी0 दर की प्रति चाही गई है जिसके संबंध मे तहसीलदार चिडावा द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने पत्रांक सू0अ0/2025/65 दिनांक 17.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय चिडावा से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2025/56 दिनांक 15.10.2025 के द्वारा तहसीलदार, चिडावा को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। तहसीलदार, चिडावा के पत्रांक आर0टी0आई/2025/43 दिनांक 12.1.2025 से प्राप्त हुई जो निम्नानुसार है- यह कि प्रार्थी श्री ऋषि सुलतानिया, फ्लेट 002, ए विंग, बिल्डिंग 55, राधिका सी0एच0एस0 लिमिटेड, गोकुलधाम, गोरेगांव वेस्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 1 अप्रैल 2001 की डी0एल0सी0 दर की प्रति चाही गई है जिसके संबंध मे तहसीलदार चिडावा द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी को तहसीलदार, चिडावा द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं